न्यायालय अतिरिक्त जिला दण्डनायक, गंगापुर सिटी

पीठासीन अधिकारी—श्री रवि वर्मा

प्रकरण संख्या 02 / 23

तारीख रजू 16 / 06 / 2023

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर। —सायल(प्रार्थी)

बनाम

श्री आसिफ खान पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान तेली उम्र 19 साल निवासी चमनपुरा ,गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी

——गैर सायल(अप्रार्थी)

अभियोग—पत्र अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम,1975

निर्णय

दिनांक— 15.04.2024

पुलिस अधीक्षक,सवाईमाधोपुर द्वारा यह अभियोग पत्र राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैर सायल (अप्रार्थी) श्री आसिफ खान पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान तेली उम्र 19 साल निवासी चमनपुरा ,गंगापुर सिटी के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल (अप्रार्थी) के विरूद्व पुलिस थाना गंगापुर सिटी मे निम्न अभियोग पंजीवद्व होना बताया है।

क.स.	मु0 नं0	दिनांक	धारा	चार्जशीट नम्बर	दिनांक	निर्णय का विवरण
1	34 / 21	17.01.21	13 RPGO	02	23.01.21	100 रू0 जुर्माना
2	43 / 21	24.1.21	13 RPGO	09	10.02.21	100 रू0 जुर्माना

उक्त पंजीवद्व आपराधिक प्रकरणो मे बाद जॉच चार्जशीट किता कर संबंधित न्यायालय मे चालान पेश किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा गैरसायल को 2 बार राजस्थान सार्वजनिक द्युत आध्यादेश 1949 की धारा 13 के तहत दोषी मानते हुए दण्डित किया गया हैं, गैरसायल कई वर्षो से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाब लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 2 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

अभियोग पत्र के साथ तालिका मे अंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट, चार्जशीट प्रतियां प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 के नियम-4 में उल्लेखानुसार राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल मय अभिभावक व असालतन उपस्थित होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

गैरसायल के खिलाफ वर्तमान में पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज है। जिसमें 2 मुकदमों मे गैरसायल को 100–100 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। गैरसायल कई वर्षो से अपराधों में लिप्त रहा है एवं रूपयों से हार जीत का दाव लगाकर सट्टे की खाईवाली करता है। गैरसायल को अब तक जुआ के मुकदमों में 2 बार सजा हो चुकी है। गैरसायल का इतना आंतक है कि आम जन इसके खिलाफ गवाही देने व रिपोर्ट करने से डरता है। गैरसायल इलाके में और आमजन को आमशान्ति से रहने के लिए खतरा एवं नुकसान दायक है। अतः गैर सायल के खिलाफ राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावे।

विद्वान वकील गैर सायल ने जवाब मे अंकित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि उनवानी प्रकरण सन् 2023 से विचाराधीन है। गैरसायल जब मुकदमें दर्ज हुए उस समय गैरसायल नाबालिग था। ना हि समझदार था। गैरसायल अब सुधर चुका है एवं गैरसायल का वर्तमान में किसी भी बदमाश से सम्पर्क नहीं है, साथ ही वकील गैर सायल ने गैरसायल के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए उक्त प्रकरण का निस्तारण करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी व विद्वान वकील गैर सायल की बहस सुनने व मनन करने तथा अभियोग पत्र पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य का भलीभांति अवलोकन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पंहुंचा हुं कि गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना गंगापुर सिटी में 2 मुकदमें दर्ज है । जिसमें 2 मुकदमें में गैरसायल को 100–100 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। राजस्थान लोक द्यूत क्रिडा अध्यादेश की धारा 13 के अर्न्तगत अपराध दो बार दोष सिद्ध होने के तदुपरान्त भी गैरसायल द्वारा द्यूत क्रिडा कृत्य कारित करने की पुनरावृत्ति की पुष्टि होती है तथा इस अभिलेखिय साक्ष्य के आधार पर गैरसायल द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम , 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित किया जाना स्पष्टतः साबित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर मै इस निष्कर्ष पर पहुँचा हू किः—

1. गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम , 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित अपराध कारित करने का आदी है एवं गैरसायल को उक्त तालिका में अंकित 2 अपराधों में माननीय न्यायालय द्वारा 2 मुकदमों में 100–100 रू0 के जुर्माना से दण्डित किया हुआ है। अतः गैर सायल गुण्डा की श्रेणी में आता है।
2. गैरसायल की गतिविधियां एवं प्रवृतियां अनैतिक एवं दुष्प्रेरित है। जो थाना क्षेत्र गंगापुर सिटी जिला गंगापुर सिटी के लिए घातक एवं खतरनाक है तथा जनसाधारण के लिए हानिप्रद व दुष्प्रेरणा से प्रेरित करने वाली है।
3. गैरसायल के विरूद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल जिले में राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 की धारा 2 (ख) (5) में वर्णित आपराधिक कृत्य करने में संलिप्त है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

लिहाजा

मै रवि वर्मा , अतिरिक्त जिला दण्डनायक ,गंगापुर सिटी गैरसायल श्री आसिफ खान पुत्र अजीज खान जाति मुसलमान तेली उम्र 19 साल निवासी चमनपुरा गंगापुर सिटी को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अर्न्तगत गुण्डा घोषित करता हूं एवं उसे एक माह की समयावधि के लिए गंगापुर जिले से निष्कासित करने का आदेश देता हूं। थानाधिकारी पुलिस थाना गंगापुर सिटी को आदेश जारी हो कि वे आदेश प्रसारित की दिनांक से पन्द्रह दिवस पश्चात् गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिए जिला मुख्यालय सवाई माधोपुर रहने हेतु थानाधिकारी सूरवाल को सुपुर्द करें। गैरसायल को सुविधाजनक मार्ग से ले जाया जावे, गैरसायल वहां निवास की जानकारी के लिए थाने में उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व जिला गंगापुर सिटी के किसी भी भाग में प्रवेश नहीं करेगा। निर्णय की एक प्रति पुलिस अधीक्षक गंगापुर सिटी को भेजे व एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक **15.04.2024** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
सिटी, जिला-

(रवि वर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी